

थाना उझानी पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना उझानी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.08.2022 को मु.अ.सं. 532/22 धारा 452/354ए/323 भादवि व 7/8 पांस्को एक्ट के अभियुक्त शरद कुमार पुत्र जवाहर लाल नि0 ग्राम मिहौना थाना उझानी जनपद बदायूँ को ग्राम मिहोना से गिरफ्तार किया गया। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

दिनांक 04.08.2022 की मध्य रात्रि को अभियुक्त शरद कुमार पुत्र जवाहर लाल नि0 ग्राम मिहौना थाना उझानी जनपद बदायूँ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ तथा मारपीट की थी । इस सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 532/2022 धारा 452/354ए/323 भादवि व 7/8 पांस्को एक्ट बनाम शरद कुमार पुत्र जवाहर लाल नि0 ग्राम मिहौना थाना उझानी जनपद बदायूँ पंजीकृत किया गया था ।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।